न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
Testamentary suit No.- 04/2024
CIS No.- 04/2024
(उदयभान कुशवाहा बनाम रामलोचन भगत उर्फ रामलछन भगत एवं अन्य)

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
07-07-2026	उभयपक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। प्रतिवादी संख्या–02 से 02(च) की ओर से शक्ति–पत्र दाखिल साथ एक आवेदन प्रतिवादी संख्या–02 रामलोचन भगत के द्वारा दाखिल उत्तर पत्र को इनका उत्तर पत्र मानने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। वाद पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0– 02 से 02(च) की ओर से दिनांक 07.07.2026 को दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुये इस आशय का कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में स्व0 रामलोचन भगत प्रतिवादी संख्या–02 हाजिर हुये थे और अपना उत्तर पत्र दाखिल किये थे। प्रतिवादीगण उक्त उत्तर पत्र को पढ़ सुन समझ कर सही होना कबूल वो मंजूर किया है। प्रतिवादी संख्या'–02 रामलोचन भगत का पहले से दाखिल उत्तर पत्र दिनांक 30.11.2023 को प्रतिवादीगण भी अपना उत्तर पत्र होना कबूल वो मंजुर करते है। प्रतिवादीगण को कोई दूसरा उत्तर पत्र दाखिल नहीं करना है। अतः प्रतिवादी संख्या–02 रामलोचन भगत के द्वारा दाखिल उत्तर पत्र को प्रतिस्थातिप प्रतिवादियों द्वारा अपनाने की अनुमति देने का प्रार्थना किया गया। वादी द्वारा उक्त आवेदन को कोई विरोध नहीं किया गया। सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि इस वाद में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0– 02 से 02(च) द्वारा आज दिनांक 07.07.2026 को उपस्थित होकर मूल प्रतिवादी सं0– 02 रामलोचन भगत के द्वारा दाखिल उत्तर पत्र को एडॉप्ट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इस वाद के सम्यक निर्णयण हेतु प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण द्वारा यह दाखिल आवेदन न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0– 02 से 02(च) की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.07.2026 को स्वीकृत किया जाता है तथा इन्हें मूल प्रतिवादी संख्या–02 रामलोचन भगत के द्वारा दाखिल उत्तर पत्र अंगीकार करने की अनुमति दी जाती है। वाद दिनांक 14.07.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही। लेखापित ह0/– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान। दिनांक 07.07.2026	